ISBN : 978-81951728-5-6

वर्तमान में बढ़ते महिला अपराध : सजगता एवं निवारण

उज्जवल कुमार भास्कर
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
तिलका माँझीभागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर,
बिहार, भारत

भारत देश एक परम्पराओं का देश है जो अपनी परम्परा और संस्कृति को लेकर प्रसिद्ध है। जहाँ नारी को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। उसे लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज की आधुनिक समाज में नारी को पुरूष के समक्ष माना गया है फिर भी आज की नारी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए है, आज भी ऐसा देखा जाता है कि भारतीय नारी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है जो आज के विकसित भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत के इस बदलते स्वरूप के साथ–साथ नारी को लेकर भी उसकी सोच में बहुत हद तक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज की नारी हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ काम कर रही है। शिक्षित होकर अपने जीवन में नई ऊँचाइयों को पा रही हैं, फिर भी वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्तित है, आज के युग में नारी सुरक्षा के कानून

ISBN : 978-81951728-5-6

और कायदे होते हुए भी उस पर अत्याचार होते रहते है, वह अत्याचार घरेलू हिंसा, सामाजिक संस्थानों पर नारी शोषण, दहेज को लेकर कई प्रकार से परेशान किया जाता है।[1]

आज महिलाएँ पढ़ लिखकर एक शिक्षित नागरिक तो बन गई है। लेकिन फिर भी अपने हक और अपनी स्वतंत्रता के लिए उसे कई बार लड़ना पड़ता है। सरकार के नियम और कानून होते हुए भी पुरूष प्रधान देश में वह कई बार लाचार बन जाती है। आजकल तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि नारी ना तो घर में सुरक्षित है और ना ही बाहर सुरक्षित है ऐसे हालातों से नारी गुजर रही है। उस पे बलात्कार जैसी घटनाएँ आए दिन बढ़ रही है। देश के विकसित समाज के लिए यह घटनाएँ एक कलंक रूप साबित होने लगी है। बलात्कार जैसी घटनाएँ देश और नारी दोनों के लिए एक गंभीर सवाल बन गई है। क्यों होती है इस तरह की घटनाएँ ! क्यों नारी आधुनिक समय में पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह पा रही है। आज के इस बदलती दौर में नारी का सुरक्षित रह पाना काफी मुश्किल बन गया है, नारी आज घर से बाहर निकलने से डर रही है। आज के समय में बलात्कार जैसी घटनाएँ काफी हद तक बढ़ गई है। नारी आज किसी भी क्षेत्र में अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। नारियों को जहाँ देवी के रूप में पूजा किया जाता था वही आज उसका चीर हरण कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण दिखाई पड़ता है, वह है, इंटरनेट का दुरूपयोग जिससे आज के युवा वर्ग के लोग से लेकर बच्चे अर्थात नाबालिक वर्ग के लोगों में इसका एक प्रचलन सा दिखाई देने लगा है। जो आज के समय में समाज और नारी दोनो के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। उसके साथ ही साथ आज की फिल्मों में भी दिखाई जाने वाली उतेजित दृश्य,

ISBN : 978-81951728-5-6

सीरियल में भी आज देश आने वाले दृश्य भी बलात्कार जैसी वारदातों के लिए रूप माना गया है। इन सब से बचने के लिए किसी भी नारी को अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह सरकार या परिवार साथ नहीं रह सकता इस लिए आज के जमाने में नारी को अपनी रक्षा के लिए खुद ही मजबूत होना पड़ेगा। नारी को अपनी अपनी आत्म रक्षा करने के लिए मिर्ची स्प्रे पाउडर, कराटे जैसी कलाओं को सीखने की जरूरत है। तभी वह आत्म निर्भय बनाने में सफल सिद्ध हो पाएगी।[2]

महिलाओं के खिलाफ अपराध से कोई देश अछूता नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ एण्ड रिसर्च के 2013 के आंकडे कहते है कि दुनिया भर की 35 प्रतिशत महिलाओं को किसी न किसी स्थिति में अपने इनटिमेंट पार्टनर यानी अंतरंग साथी की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। वह यौन या शारीरिक हिसां कुछ भी हो सकती है। कुछ देशों में तो 70 प्रतिशत महिलाओं को यह यातना झेलनी पड़ती है। ऐसी महिलाओं की गर्भपात कराने या फिर तनाव में जीने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है और एच आई वी – एड्स का शिकार हाने की आशंका दो गुनी हो जाती है। मादक पदार्थों और मानव तस्करी पर संयुक्त राष्ट्र के संगठन UNODC के 2014 के अनुमानों का कहना है कि साल 2012 में विश्व में महिलाओं की कुल हत्याओं में से आधी अंतरंग साथी या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा ही की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र कुछ महत्वपूर्ण आंकडो के द्वारा प्रस्तुत करता है परन्तु संयुक्त राष्ट्र के संगठन का मानना है कि मनोवैज्ञानिक हिंसा पर आंकडे कम ही मिलते है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार यूरोपीय संघ के 28 देशों में लगभग 43 प्रतिशत महिलाओं को किसी

ISBN : 978-81951728-5-6

न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक शोषण का सामना करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त विश्व की 70 करोड़ महिलाओं की शादियां 18 वर्ष से कम उम्र में कर दी जाती है। इनमें हर तीन में से एक लड़की की शादी 15 वर्ष से कम उम्र में होती है। इतनी उम्र में वे किसी यौन संबंध से इनकार नहीं कर पाती जिसका नतीजा कम उम्र में गर्भधारण और यौन संक्रमण होता है। यू एन वूमेन का आंकड़ा यह भी कहता है कि विश्व स्तर पर 12 करोड़ लड़कियों को जबरन यौन संबंध के लिए मजबूर किया जाता है। यह बलात्कार का ही एक दूसरा रूप है।[3]

भारत की स्थिति

भारत में महिलाओं की हालत बदत्तर है। इसके बावजूद कि यहां शक्ति के रूप की उपासना होती है और स्त्री के हर रूप को आदर से देखा जाता है। चाहे वह माँ हो, बहन या बेटी। किन्तु अपराध और हिंसा का शिकार भी उन्हें सबसे ज्यादा होना पड़ता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्डस ब्यूरो (एन सी आर बी०) के वर्ष 2014 के आंकडे कहते है कि पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध दो गुने हुए है। पिछले एक दशक में महिलाओं के खिलाफ 22.40 लाख अपराध दर्ज हुए है। इस आंकड़े के आधार पर इंडिया स्पेड के एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में हर घंटे में महिलाओं के खिलाफ लगभग 26 हिंसक मामले दर्ज होते है। जिसका एक मायने यह भी है कि हर दो मिनट में ऐसी एक शिकायत दर्ज होती है। देश भर में महिलाओं के अपराधों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के तहत पति या संबंधियों द्वारा की गई क्रूरता का सबसे बड़ा हिस्सा है । देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाला यह सबसे बड़ा अपराध

ISBN : 978-81951728-5-6

है। पिछले दस वर्षों में ऐसे 9,09,713 मामले दर्ज किए गए यानी हर घंटे लगभग ऐसे करीब 10 मामले दर्ज हो जाते है।[4]

हिंसा का बढ़ता दायरा

महिलाएँ ही सबसे अधिक मानव तस्करी का शिकार होती है। यू एन ओ डी सी का एक सर्वेक्षण के अनुसर तस्करी का शिकार होने वाले हर तीन बच्चों में से दो लड़कियां होती है। मूलभूत अधिकारों पर यूरोपीय संघ ऐजेन्सी की रिर्पोट कहती है कि हर 10 में से एक महिला साइबर हिंसा से पीड़ित है। यह हिंसा का एक आधुनिक रूप है जो बदलती तकनीक के साथ अपने पैर जमा रहा है। लड़कियों को 15 वर्ष की उम्र से ही भद्दे ई–मेल या एसएमएस का शिकार होना पड़ता है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अश्लील संदेश भेजना भी शामिल है।[5]

इस प्रकार का जोखिम 18 से 29 वर्ष की महिलाओं को सबसे अधिक है। विश्व भर के युवाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण में हर चार में से एक लड़की ने कहा कि स्कूल के शैचालय का इस्तेमाल करना उन्हें सुविधाजनक नहीं लगता। स्कूलों में लड़कियों को लड़को के मुकाबले यौन हिंसा का अधिक खतरा महसूस होता है।

सजगता एवं निवारण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला और पुरूष दोनों को दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर नर–नारी में किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक माना जाता है। आवश्यकता महसूसन होने की स्थिति में महिलाओं और पुरूषों का वर्गीकरण किया जा सकता

ISBN : 978-81951728-5-6

है। अनुच्छेद–15 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता समानता और न्याय के साथ–साथ महिलाओं या लड़कियों की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है। बिहार और झारखण्ड में लड़कियों के लिए साईकिल और पोषण की योजना मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए लाड़ली लक्ष्मी, योजना और दिल्ली में मेट्रो में महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था आदि करना इसके उदाहरण है।

अनुच्छेद–19 में महिलाओं को यह अधिकार दिया गया है कि यह देश के किसी भी हिस्से में नागरिक की हैसियत से स्वतंत्रता के साथ आ जा सकती है, रह सकती है। व्यवसाय का चुनाव भी स्वतंत्र रूप से कर सकती है। महिला होने के कारण कोई भी कार्य करने के लिए उनको मना करना उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा और ऐसा होने पर वे कानून की मदद ले सकती है। अनुच्छेद–23 नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उनको शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार देता है। महिलाओं की खरीद–बिक्री वेश्यावृति के धंधे में जबरदस्ती लाना, भीख मांगने पर मजबूर करना आदि दण्डनीय अपराध है। ऐसा कराने वालों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। संसद ने अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 पारित किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361,363,366,367,370,372,373 के अनुसार ऐसे अपराधी को सात साल से लेकर 10 साल तक की और जुर्माना की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनुच्छेद–24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियों से काम करवाना बाल अपराध है।

केन्द्र सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अपराधों को रोकने के प्रयास किये जा रहे है। वैसे इस संबंध में

ISBN : 978-81951728-5-6

कई कानून पहले से है। लेकिन उन्हे और कठोर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में संशोधन की बात की जा रही है। संशोधन में बलात्कार की परिभाषा बदलकर यौन हमला किया जायेगा और बलात्कार की सजा सात साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की जाएगी। इसके अलावा एसिड़ हमले, यौन उत्पीड़न, छिपकर देखने और पीछा करने महिला को निर्वस्त्र करने जैसे नए अपराधों को भी भारतीय दण्ड संहिता में शामिल किया गया है। इस कानून में पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए चिकित्सकों और सरकारी अधिकारियों को अधिक जवाबदेह बनाया गया है।[6]

महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार सेलफोन में एक "पैनिक बटन" लाने की योजना भी बना रही है जो कि जीपीएस से जुड़ा होगा। फोन निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे और इस प्रस्ताव को कुछ माह में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। फोन में लगा पैनिक बटन कुछ नम्बरों पर एक एस एम एस भेज देगा। इसमें बटन दबाने वाले व्यक्ति की स्थिति से जुड़ी जानकारी भी दी जायेगी।

घरेलू हिंसा रोकथाम कानून

घरेलू हिंसा (प्रतिरोध) अधिनियम 2005 जिसके तहत वे सभी महिलाएं जिनके साथ किसी भी तरह घरेलू हिंसा की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वे सभी पुलिस थाने जाकर एफ०आई०आर दर्ज करा सकती है और पुलिस कर्मी बिना समय गवायें प्रतिक्रिया करेगें।[7]

ISBN : 978-81951728-5-6

दहेज निवारक कानून

दहेज लेना ही नहीं, देना भी अपराध है। अगर वधू पक्ष के लोग दहेज लेने के आरोप में वर पक्ष को कानूनी सजा दिलवा सकते है तो वर पक्ष भी इस कानून के ही तहत वधू पक्ष को दहेज देने के जुर्म में सजा करवा सकता है। 1961 से लागू इस कानून के तहत वधू को दहेज के नाम प्रताड़ित करना भी संगीन जुर्म है।

नौकरी/स्व व्यवसाय का अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व हर महिला को कामकाज के बदले वेतन प्राप्त करने का अधिकार पुरूषों के बराबर है। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जायेगा।

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद– 21 व 22 दैहिक स्वाधीनता का अधिकार प्रदान करता है। हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। अपनी देह व प्राण की सुरक्षा करना हरेक का मौलिक अधिकार है।

राजनीतिक अधिकार

प्रत्येक महिला व वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्व विवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान समस्त योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।[8]

ISBN : 978-81951728-5-6

समानता के अधिकार की वास्तविक्ता

वर्ष 2011 की जनगणना तथा एक मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 1.21 अरब थी, जिसमें कुल जनसंख्या का 48.5 प्रतिशत महिलाएँ थी। विविधता हमारे देश की एकता है, फिर भी देश के भीतर विविधता पूर्ण सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठ भूमियाँ और अलग–अलग भौगोलिक स्थितियां नीति–निर्माताओं के समक्ष लगातार चुनौतियां पेश करती है।

महिलाओं के प्रति सम्मान भारतीय सभ्यता की प्राचीन परम्परा रही है और अब इन्हें युवा और विविधता पूर्ण आधुनिक भारत के संविधान तथा विधियों में प्रतिष्ठापित किया गया है। महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है और किया जा रहा है। भारतीय महिला जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उन गिने–चुने देशों में से एक है जहाँ महिलाएं राज्य के और सरकार के शीर्षस्थ पदों पर विराजमान रही है तथापि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण सहित अनेक चुनौतियां हमारे सामने है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की हाल को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय घटनाओं ने हमारा ध्यान खींचा। ऐसी घटनाएँ हर तरह से निदंनीय है और एक सभ्य समाज में इनके लिए कोई स्थान नहीं हैं।[9]

शिक्षा, खान–पान, रहन–सहन और उन्मुक्त जीवन शैली के आधार पर भले ही हम यह कहे कि शहरी इलाको में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति कमोबेश वैसी ही है। इक्कीसवी सदी में भी महिलाएं हाशिये पर है। पुरूषों की तुलना में महिलाओ ंको भी बराबरी का हक मिला है, लेकिन ये हक

ISBN : 978-81951728-5-6

ज्यादातर संविधान एवं कानून की किताबों में ही सिमटकर रह गयी है।

कार्य स्थलों पर सुरक्षा संबंधी कानून : खासकर विशाखा गाइडलाइन्स

कार्य स्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार ने कार्यस्थल पर महिला योन उत्पीड़न (रोक थाम, निषेध और निवारण) कानून बनाकर एक और बड़ा कदम उठाया है। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर अनुकूल एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान तैयार करने के लिए उपबंध किए गए है। यह अधिनियम कार्यबल के साथ अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ने के लिए भी उत्साहित किया है। यह अधिनियम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में कार्यरत महिलाओं के लिए है और यह उनकी शिकायतों तथा चिंताओं का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति तथा स्थानीय शिकायत समिति के रूप में एक निवारण कार्यतंत्र स्थापित करता है। एसिड़ हमला, यौन उत्पीड़न महिला के कपड़े उतरवाना, छिपकर पीछा करना, नग्न करके घुमाना जैसे विशिष्ट अपराधों को भारतीय दण्ड संहिता में शामिल किया गया है। यही नहीं, बलात्कार की परिभाषा को व्यापक बनाकर इसमें मौत हमले को भी शामिल किया गया है। अति निकृष्ट बलात्कार के प्रावधानों को विस्तारित करके इसमें रूतबेदार व्यक्तियों द्वारा किए गए सशस्त्र बलो के किसी सदस्य द्वारा किये गये बलात्कार, सामुदायिक अथवा साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए अथवा सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ किए गये बलात्कार को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त गैंग रेप तथा पीड़ित को निष्क्रिय अवस्था में पहुँचा देने वाली गंभीर क्षति पहुँचाने वाले

ISBN : 978-81951728-5-6

बलात्कार के लिए शारीरिक दण्ड सहित अधिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। इन संशोधनों से महिलाओं के विरूद्ध अपरोधों से जुड़े दण्डो को और अधिक कठोर बना दिया गया है।[10]

इस संशोधन में एसिड हमले और बलात्कार के तहत अपराधों के संबंध में किसी लोक सेवक को कोई सूचना दिए जाने पर यदि वह सूचना दर्ज नहीं करता है तो उसके लिए भी दण्ड का प्रावधान किया गया है। सरकारी अथवा निजी अस्पतालों के लिए यह आदेश दिया गया है कि वे एसिड हमले सहित यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा अथवा उपचार प्रदान कराएंगे।

आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी प्रावधान

अर्थव्यवस्था में महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की महत्ता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने विभिन्न नीतियां, योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों को लगभग 27 योजनाएं और कार्यक्रम है। उदाहरणार्थ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास योजना (ट्रेड), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एम एस ई– सी डी पी) की योजनाएं, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रमों को सहायता की योजनाएं।[11]

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है कि महिला और बच्चियों के खिलाफ की जाने वाली हिंसा, आज मानवाधिकार का सबसे बड़ा उल्लघंन है। दमन की दास्ता किसी देश की आप बीती नहीं है। इसका हल क्या है ? इंडियन हूमन डेवलपमेंट सर्वे कहता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने दीजिए।

ISBN : 978-81951728-5-6

उनकी संवेदनशीलता कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे घर से बाहर निकले और काम करें। बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढ़ेगा तो वे खुद को संभालने में सक्षम होगी ओर मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर होगी।[12]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Google, *नारी सुरक्षा पर निबंध, हीटाल जोशी*
2. Google, *नारी सुरक्षा पर निबंध, हीटाल जोशी*
3. *माशा, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–47*
4. *माशा, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–47*
5. *माशा, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–48*
6. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–51*
7. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–51*
8. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–52*
9. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–52*
10. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–52*
11. *तिवारी सुरेश कुमार, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–52*
12. *माशा, योजना सितम्बर 2016, पृष्ठ संख्या–50*